न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 71/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

आईसीआईसीआई होम फाईनेंस कम्पनी लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी अनुज रावल
रजिस्टर्ड कार्यालयः–आईसीआईसीआई बैंक टॉवरस, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुम्बई, महाराष्ट्र–400051
क्षेत्रीय कार्यालयः–भू–तल, एस–32, जे.डी.ए. मार्केट, गोपालपुरा, मानसरोवर लिंक रोड, रिद्वी–सिद्वी स्वीट्स के पास, जयपुर, राजस्थान–302018
शाखा कार्यालयः–सिटी कॉरपोरेट, प्लॉट संख्या–डी–3, दुकान संख्या–103से 106, मालवीय मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर, राजस्थान–302001

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **MANOJ KUMAR S/o RAJENDRA PRASAD SHARMA**
   ADD-1:- Bangothri, Pilani, Jhunjhunu, Rajasthan-333031
   ADD-2:- 404, Rampura Road Sikar Rajasthan-332001
2. **ANITA KUMARI W/o MANOJ KUMAR**
   ADD-1:- 404, Rampura Road, Sikar, Rajasthan-332001
   ADD-2:- Bangothri, Khurd Pilani, Jhunjhunu, Rajasthan-333031

–अप्रार्थीगण(ऋणी/सहऋणी/बंधककर्ता)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ★ सीकर (राज.) ★

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 12 मई, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री मयंक कुमार** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 क्रमशः **MANOJ KUMAR S/o RAJENDRA PRASAD SHARMA** एवं **ANITA KUMARI W/o MANOJ KUMAR** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थीगणों के स्वामित्व की बंधक आवासीय सम्पत्ति **फ्लेट/युनिट संख्या–404, तीसरा तल, ई–ब्लॉक, प्रोजेक्ट नाम–मातृछाया, वार्ड संख्या–23, रामपुरा रोड़, सीकर, तहसील एवं जिला सीकर, राजस्थान–333021** में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका **सुपर बिल्ट–अप ऐरिया लगभग 350 वर्गफीट** है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल 4,63,221/– रूपये (अक्षरे रूपये चार लाख तिरेसठ हजार दो सौ इक्कीस)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **12.11.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **12.11.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटोप्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 क्रमशः **MANOJ KUMAR S/o RAJENDRA PRASAD SHARMA** एवं **ANITA KUMARI W/o MANOJ KUMAR** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थीगणों के स्वामित्व की बंधक आवासीय सम्पत्ति **फ्लेट/युनिट संख्या–404, तीसरा तल, ई–ब्लॉक, प्रोजेक्ट नाम–मातृछाया, वार्ड संख्या–23, रामपुरा रोड़, सीकर, तहसील एवं जिला सीकर, राजस्थान–333021** में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका **सुपर बिल्ट–अप ऐरिया लगभग 350 वर्गफीट** है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के स्वीकृति आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

6. आदेश आज दिनांक **12 मई, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर